

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना संख्या:- सा0का0नि0571(अ) के माध्यम से विभिन्न Single Use Plastic से निर्मित उत्पादों (120 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर दिनांक 31.12.2022 से पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया गया है।

अधिसूचना के अनुपालन में 01 जनवरी 2023 से नगर निगम, रुद्रपुर सीमान्तगत पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) से निर्मित वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओ यथा प्लास्टिक स्टिक युक्त बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, कैंरी बैग, स्टीरर के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जात है। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर सम्बंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी।

कृपया सूचित होवें।

-ह0-

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर

-ह0-

जिलाधिकारी/प्रशासक
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tele- 05944-242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक:-2992/स्वा0अनु0/2024-25

दिनांक 29 जनवरी, 2025

प्रतिलिपी-

- 1 - जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- सम्पादक "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में 08x06 साईज में न्यूनतम दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत से अधिक छूट देने का कष्ट करें)
- 6- श्री कमल तिवारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सूचना को नगर निगम की वेबसाईट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)



फोन: 05944-242400 email : ngarnigamrudrapur@gmail.com

visit: www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक : 2992/स्वा.अनु./2024-25

दिनांक : 29.01.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना संख्या :- सा.का.नि.571 (अ) के माध्यम से विभिन्न Single Use Plastic से निर्मित उत्पादों (120 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर दिनांक 31.12.2022 से पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया गया है।

अधिसूचना के अनुपालन में 01 जनवरी 2023 से नगर निगम, रुद्रपुर सीमान्तर्गत पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) से निर्मित वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं यथा प्लास्टिक स्टिक युक्त बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, कैंरी बैग, स्टीरर के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जात है। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर सम्बंधित व्यक्ति / संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी।

कृपया सूचित होवें।

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर।

जिलाधिकारी/ प्रशासक
ऊधमसिंह नगर।